

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

कार्यालय आदेश/Office Order

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्रांक-अ.शा. पत्र सं. 13034-1/2015- रा.भा.ए, दिनांक 9 फरवरी, 2015 का संज्ञान लेते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति के दो माह बाद भी उक्त मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

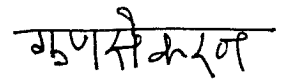
संबंधित अधिकारियों/विभागाध्यक्षों/केंद्र प्रमुखों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा विधिवत भरकर दिनांक 09.04.2015 तक राजभाषा प्रकोष्ठ में भिजवाने का कष्ट करें ताकि समेकित रिपोर्ट मंत्रालय को यथाशीघ्र भेजा जा सके।

Official Language Quarterly progress report has not been received at MHRD, Govt. of India Vide its letter no. 13034-1/2015 dated 09.02.2015.

All the concerned Officers/HoDs/Centre Heads are directed to send duly filled up enclosed QPR proforma to Official Language Cell by 09.04.2015 to enable it to despatch its consolidated report to the Ministry at the earliest.

पत्रांक सं. : रा.भा./विभा./ 29/2015-16/217

दिनांक : 09.04.2015



कुलसचिव/Registrar
विश्वभारती/Visva-Bharati

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

31.12.2014
..... को समाप्त तिमाही

भाग - 1 (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता -

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात।

(क) जारी कागजात की कुल संख्या -

(ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात -

- इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचना, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं।

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5)

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की सं. -

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए -

3. भेजे गए कुल पत्रों का ब्योरा।

	हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

4. फाइलों पर हिंदी में कार्य।

तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियाँ

हिंदी में	अंग्रेजी में	कुल संख्या

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अध्यक्ष का नाम

पदनाम

फोन नम्बर

फैक्स नम्बर

ई-मेल पता

नोट : 1. यह रिपोर्ट विभागीय के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जाएगी।

2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।